Covid-19 Pandemic and the Modi Regime:

The Invisible Despair of Women

कोविड–19 महामारी और मोदी शासन : महिलाओं की न दिखने वाली निराशा

एडवा प्रकाशन

प्रस्तावना

22 जून 2020 को महाराष्ट्र के पालघर जिले की जावहर Jawhar तहसील के कडव्याची माली Kadvyachimali गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। एक 30 साल की गरीब आदिवासी महिला मंगला दिलीप वाध ने अपनी 3 साल की बेटी रश्मी को अपनी साड़ी से बांधकर पेड़ पर लटका कर मार डाला और फिर खुद भी उसी पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। उसके पति दिलीप ने पुलिस को 24 जून को बताया कि '' मेरी पत्नि हमारी गरीबी के कारण बेहद त्रस्त थी और हमारी छोटी बेटी को वह अपने साथ ले गयी और बेटी को मार कर उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है और जो भी भोजन है वह हम सबके लिये पूरा नहीं पड़ता है।''

यह उन सबसे अधिक मार्मिक घटनाओ में से एक है जो कोविड लॉक डाउन के असर को उजागर करतीं हैं। देश भर में ऐसी अनेकानेक घटनायें हुयी होंगी। केवल वे लोगों तक पहुंच नहीं पाती है।

मंगला की ही तरह कोविड 19 और बिना सोचे समझे किया जाने वाले लॉकडाउन ने हमारे देश के लोगों को अभूतपूर्व तकलीफ़ों और अराजक माहौल में धकेल दिया है। पिछले तीन महिनों से देश के करोड़ों गरीब और हाशिये पर रहने वाले लोग विशेषरूप से महिलाएं अनकहे और कल्पनातीत कष्टों में जीवन बिता रहे हैं। जीवन यापन के साधनों और रोजगार के खात्मे ने इन परिवारों,किसान महिलाओं, स्व सहायता समूह की महिलाओं, घरेलू कामगार और घर पर बैठकर काम करने वाली महिलाओं को अपने रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिये और भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं।

महिलाओं के अवैतनिक घरेलू कर्तव्य और परिवार की देखभाल का बोझ अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया है। घर के भीतर महिलाओं के श्रम के घंटों में वृद्धि, परिवार के सभी सदस्यों को भोजन, देखभाल और सेवाएं प्रदान करना आदि उनके चौबिसों घंटे के काम के बावजूद ध्यान में नहीं रखा गया है। स्कूल बंद होने के चलते महिलाओं को बच्चों की शिक्षा की ओर अतिरिक्त समय देना पड़ रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, उपरोक्त श्रम में ईंधन और कुओं, बोरवेल या नदियों से पानी लाने के लिए सूखी लकड़ी के संग्रह का काम और भी जुड़ जाता है। लेकिन अब परिवार के लिए अधिक ईंधन और पानी की अधिक लाना पड़ता है।

यह एक अंदाज है कि ऐसे कामों पर भारतीय महिला एक दिन में 352 मिनिट यानि साढे पांच घंटे खर्च करती है। जबकि पुरूष केवल 52 मिनिट खर्च करता है। यह पूरी तरह से अवैतनिक काम है। लेकिन यह एक आर्थिक दृष्टि का कार्य है क्योंकि यह परिवार का खर्च बचाता है।

दूसरी ओर आमदनी के एकदम समाप्त होने की स्थिति में परिवार को भोजन मुहैया कराना, लोककल्याणकारी योजनाओं के पहुंच के बाहर होने, और लक्षित ओर लोगों को राशन व्यवस्था से बाहर कर देने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण एक

लिया गया है इस कारण वे कर्जे लेने या जो कुछ है उसे बेचने के लिये मजबूर कर दी गयी थीं ताकि उनके पति ट्रेन या बस से घर वापस आ सकें। क्या उनका यह दुःख, कष्ट और असहायता कहीं पर दर्ज की गयी है ? यह न दिखने वाले दुःख जो महिलायें झेल रहीं हैं दिल दहला देने वाले हैं। देश की पचास प्रतिशत आबादी के दुखों और तकलीफ़ों का यह लैंगिक पहलू पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अनदेखा कर दिया है।

देश के अनगिनत गरीबों और विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा झेली जाने वाली इन अव्यक्त तकलीफों का मुख्य कारण कोविड 19 की महामारी और इसके चलते हुये लौकडाउन के इन तीन महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की दिवालिया और निष्ठुर नीतियां हैं। इन नीतियों से आम इन्सान को कष्ट देने का कोई भी तरीका छोड़ा नहीं गया। और साथ ही अपनी नवउदारवादी नीतियों को लागू करने का कोई तरीका नहीं छोड़ा गया जिससे कारपोरेट जगत को फायदा न हो। इस दौरान भाजपा का सांप्रदायिक और तानाशाही जोर और भी बढ़ गया है।

इस विकट परिस्थिति में एक सुनहरी आशा की किरण केरल ने दिखाई है जहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वामपंथी एल डी एफ की सरकार का नेतृत्व मुख्य मंत्री पिनाराई विजयन कर रहे हैं। हमें गर्व है कि इस सरकार की स्वास्थ्य मंत्री हमारी एडवा की नेता के के शैलजा हैं। केरल की इस एल डी एफ सरकार ने कोविड महामारी को नियंत्रण में लाने वाली हिंदुस्तान की एकमात्र राज्य सरकार होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा भी हासिल की है। इस सरकार ने समाज के हर हिस्से को इस संकट का सामना करने के लिये हर संभव मदद करने के कदम उठाये हैं चाहे वह केरल के रहने वाले हों या किसी अन्य राज्य के हों जैसे कि प्रवासी मजदूर जिन्हे यहां पर अतिथि मजदूर कहा गया।

हम बृंदा कारात,विभूति पटेल,सुधा सुंदररमन,अर्चना प्रसाद और अश्विनी देशपांडे द्वारा दिये उनके मूल्यवान सुझाावों के लिये आभारी हैं। एडवा की देशभर में फैली विभिन्न इकाइयों ने भी इस बुकलेट के लिये अपने अनुभवों के आधार पर सामग्री भेजी है।

हम आशा करते हैं कि यह बुकलेट विभिन्न मुद्दों पर उन लैंगिक पहलुओं को उठाने में मदद करेगी जिनका इस कठिन समय में हमने सामना किया है।

मालिनी भट्टाचार्य
अध्यक्ष

मरियम ढवले
महासचिव

AIDWA

कोविड लौकडाउन में महिलाओं की भयानक स्थिति

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति देश में कोविड महामारी के चलते मार्च 2020 से लगे लॉकडाउन के दौरान चले राहत कार्य की सभी तरह की गतिविधियों में सक्रिय रही। इस राहत कार्य के कारण ही लौकडाउन के दौरान हुयी महिलाओं की इस भयंकर स्थिति को सामने ला सके।

सन्निपात में प्रवासी मजदूर

कोविड 19 के लौकडाउन ने बड़ी संख्या में लोगों के अनिश्चित जीवन का खुलासा किया है। एक रात में उनमें से लाखों बेरोजगार और बेघर हो गये। सरकारी आंकडों के अनुसार देश में 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं जिनमें से 3 करोड़ महिलायें हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 12 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं जिनका 30 प्रतिशत महिलायें हैं। असली संख्या हो सकता है और भी अधिक हो क्योकि अपने गांव से दूर लेकिन जिले और राज्य के अंदर रहने वाले और मौसमी प्रवासी मजदूर इन अनुमानों मे गिने नही जाते।

प्रवासी मजदूरों की दयनीय स्थिति :– प्रवासी मजदूर जिनमें महिलायें भी शामिल हैं जो घर लौटना चाह रहे थे और सरकारों,प्रशासन और पुलिस का उनके प्रति निष्ठुर रवैया बेहद दिल दहलाने वाला और रोंगटे खडे करने वाला था। लौटने की इस प्रकिया में कभी दुर्घटनाओं तो कभी भूख से हुयी थकावट कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रवासी मजदूर जो घर लौटने के लिये बेकरारी से कोशिश कर रहे थे दरअसल भूख और तकलीफों का मूर्तिमंत रूप थे। जिन्हे हमने रोज मीडिया पर देखा था। प्रवासी महिला मजदूरों की पीड़ा जिनमे से कई गर्भवती थीं तो कई बच्चों के साथ चल रहीं थी हृदयविदारक थी।

लाखों प्रवासी मजदूर जिनमें बड़ी संख्या में महिलायें भी थी भरी दुपहरी में सैकडों किलोमीटर भूखे प्यासे अपने घर की ओर पैदल चल पड़े थे। केंद्र सरकार ने उनके लिये किसी प्रकार के मुफ्त आवागमन के साधन देने से साफ मना कर दिया था। उन प्रवासी मजदूरों को, जो पहले से ही कठिन परिस्थिति में थे, घर पहुंचने के लिये हजारों रूपये खर्च करने पड़े। सड़कों पर, ऑटो रिक्शा में और अस्पतालों के दरवाजों के सामने बच्चे पैदा हुये। 24 प्रवासी महिला मजदूरों की प्रसूतियां श्रमिक ट्रेनों में हुयीं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि नवजात शिशुओं और गर्भवति महिलाओं की मौतों में तीन गुना वृद्धि हुयी है। उन महिलाओं के साथ क्या हुआ जो अपनी गर्भावस्था के विभिन्न

इस दौरान हुये गर्भपातों की संख्या की कोई सूचना नहीं है। और उन महिलाओं की तकलीफों का क्या जिनकी प्रसूतियां लौकडाउन लगने के ठीक पहले हुयी थी। उनकी प्रसूति के बाद की आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हुआ ? उनकी कहानियां कोई नहीं जानता। पहले जब प्रवासी मजदूर घर जाते थे तब अपने आतुरता से राह देख रहे बच्चों के लिये परिवार के लिये उपहार ले कर जाते थे। इस बार वे केवल भूख,प्यास,बीमारी,दुख और व्याकुलता ले कर आये थे।

महिलायें जो गांव मे रह गयीं थीं जब उनके पति काम के लिये बाहर चले गये थे भोजन और पैसे के लिये उतनी ही वंचित थीं। उन महिलाओं ने खुद की छोटी बाड़ियां बनायी हैं,दुधारू जानवर और दूसरे जानवर भी वे पालती हैं। वे छोटी किसान या खेत मजदूर हैं। या फिर बुनाई, सिलाई या कढ़ाई के काम करती हैं, वे घरेलू कामगार हैं या फिर किसी के यहां पर बच्चे सम्हालने का काम करती हैं जबकि उनके पति रोजगार के लिये बाहर रहते हैं। अचानक हुये लॉकडाउन की वजह से इन सब महिलाओं का काम एकदम से बंद हो गया और उनकी आमदनी शून्य हो गयी। महिलाये जो सब्जियां उगाती थीं वे उन्हे लेकर बाज़ार नहीं जा सकती थी। पति से उन्हे मिलने वाला पैसा बंद हो गया था क्योंकि शहरों में पुरूष विकट परिस्थिति में फंसे हुये थे।

यह असुरक्षा और आघात इतना गहरा है कि एक अनुमान के अनुसार केवल 30 प्रतिशत प्रवासी मजदूर ही शहरों को लौटने वाले हैं और 30 प्रतिशत अपने घर के आसपास ही काम ढूंढेंगे।

महात्मा धी रोजगार गारंटी कानून के अंतर्गत काम का अधूरा वादा

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून के अंतर्गत काम का अधूरा वादा

20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 50000 करोड़ रूपये गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत स्थाई ग्रामीण ढांचागत विकास के लिये उन प्रवासी मजदूरों को रोजगार देकर खर्च किये जायेंगे जो वापस लौटे हैं। यह अभियान 125 दिनों तक चलेगा और छः प्रदेशों के केवल 116 जिलों में इसका क्रियान्वयन होगा। ये राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओरिसा। लेकिन इस जुमले की पोल खुल गयी जब यह तथ्य उजागर हुआ कि इस अभियान के लिये किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त व्यय का प्रावधान नहीं किया गया है। यह अभियान और कुछ नहीं बल्कि 12 मंत्रालयों और विभागों की जारी योजनाओं का नया नाम है। ये विभाग हैं ग्रामीण विकास,पंचायत राज,सड़क परिवहन और राजमार्ग,खनन,पेयजल और स्वच्छता,पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, अक्षय ऊर्जा, सीमा सड़क,संचार और कृषि विभाग। इस योजना में उन मजदूरों को काम नहीं मिलेगा जो एक ही राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं या फिर मौसमी काम के लिये दूसरे स्थानों पर जाते हैं।

हैं। एक ही उदाहरण इन मजदूरों की दयनीय स्थिति को बताने के लिये काफी होगा। झारखंड में 3.61 लाख मजदूरों का सर्वे किया गया। इनमें से 3,35,221 पुरूष थे और 25,699 महिलायें थीं। 78,500 को आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं किया गया था। अधिकतर जो इसमें आते थे उन्हे इस योजना के अंतर्गत कोई लाभ नहीं मिला था। इन 3.61 लाख में से 1.89 लाख के पास कोई मजदूरी कार्ड नहीं था। और इन प्रवासी लौटै हुये मजदूरों में एक तिहायी का जन धन खाता नहीं था।

रोजगार गारंटी कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी 370 रू प्रतिदिन है। लेकिन यह केवल कागज़ पर है। वास्तविक मजदूरी 230 रूपये है। लेकिन अधिकतर महिलाओं को केवल 120 रूपये मिलते हैं। काम की बेहद मांग है विशेष रूप से आज जब कि काम कहीं पर नहीं मिल रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सब को काम मिल नहीं रहा है। इसके कारण प्रति परिवार केवल एक और वह भी अधिकतर पुरूष को काम दिया जा रहा है। महिला पर आश्रित परिवार, अकेली महिलायें और बुजुर्ग छूट गये हैं।

हमेशा की तरह मोदी सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सरकार के वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। आज सबसे अधिक जरूरी है सभी को रोजगार गारंटी कानून के अंतर्गत काम मिलने का संघर्ष, जिसमें उचित मजदूरी और सारे नियमों को लागू करते हुये महिलाओं के लायक काम दिये जाने, पीने के पानी,बच्चों के लिये पालना घर की सुविधाओं की भी मांग की जाये।

गंभीर रोजगार संकट

भारत में श्रम बाज़ार के संकट की महिलायें सबसे बदतर शिकार होती हैं। क्योंकि वे बेरोजगार नहीं रह सकती हैं इस कारण कोई भी रोजगार उपलब्ध हो उन्हे वह लेना ही पड़ता है। स्व रोजगार में लगी महिलाओ की दुर्दशा बेहद दयनीय है।

2017–18 के सावधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के लिये श्रमशक्ति की भागीदारी की दर अखिल भारतीय स्तर पर 16.5 प्रतिशत थी। जो 2018–19 मे बढ़कर 17.6 प्रतिशत हो गयी। यह वृद्धि ग्रामीण महिलाओं के भागीदारी की दर में वृद्धि के कारण आई थी जो इस दौरान 17.5 प्रतिशत से बढ़कर 19 प्रतिशत हो गयी थी। ग्रामीण और शहरी महिलाओं की श्रमशक्ति की भागीदारी की दर में बहुत अंतर है और यह शहर में हमेशा कर रहा है। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी की दर में वृद्धि उनके स्वरोजगार में वृद्धि के कारण है यह समझा जा सकता है।

स्वरोजगार ग्रामीण महिलाओं के लिये रोजगार का एक मुख्य साधन है जो परिवार की एक बेगार करने वाले मजदूर की तरह काम करती हैं और परिवार को उनका धंधा चलाने में मदद करती हैं। लेकिन उन्हे इसके बदले में किसी प्रकार की कोई मजदूरी

ने बहुत मदद की है। और ये उद्योग प्रमुखतया लघु उद्योग हैं। कपड़ा उद्योग में ग्रामीण महिलायें विभिन्न तरीके के काम करती हैं जैसे ज़री का काम, लेस लगाने का काम और हैंडलूम से संबंधित दूसरी गतिविधियां। इस शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था में महिला मजदूरो की मांग लगातार बढ़ती गयी है। क्योकि वे सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने वाली श्रमिक है। नियमित वेतन वाले रोजगार वाली शहरी महिलाओं की संख्या में शायद की कोई वृद्धि हुयी है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी ने एक अनुमान लगाया है कि लॉकडाउन के दौरान करीब 15 करोड लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है। दैनिक वेतन भोगी, अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर, और छोटे दुकानदारों ने अधिकतर नुकसान सहा है। महिलाये अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा हैं। 94 प्रतिशत महिलायें असंगठित क्षेत्र मे काम करती हैं। कई असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं को पुरूषों के साथ काम करना पड़ता है जिससे उनके काम का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है।

इस सर्वे का विश्लेषण बताता है कि महिलाओं के लिये 2019–20 में 4 करोड़ 30 लाख औसत रोजगार थे। अप्रेल 2020 में यह कम होकर औसतन 2 करोड़ 60 लाख हो गये थे। इस प्रकार 1 करोड 70 लाख महिलायें बेरोजगार हो गयी थीं। मार्च 2019 से अप्रेल 2020 की तुलना करें तो हम देखते हैं कि यह अनुपात महिलाओं के लिये 61 प्रतिशत था। पुरूषों के लिये यह 71 प्रतिशत था। इस प्रकार महिलाओं में आई बेरोजगारी लॉकडाउन के पहले की तुलना में अधिक थी।

ग्रामीण महिलाओ के रोजगार में जबरदस्त कमी आयी और यह लॉकडाउन के पहले की अपेक्षा केवल 57 प्रतिशत रहा। ग्रामीण पुरूषों के लिये यह औसत 73 प्रतिशत था।

शहरी महिलाओं का यही प्रतिशत 69 प्रतिशत रहा और शहरी पुरूषों के लिये 67 प्रतिशत था।

अज़ीम प्रेमजी युनिवर्सिटी के सर्वे ने दिखाया कि सर्वे में भाग लेने वाले छोटा मोटा काम करने वाले ग्रामीण मजदूरों मे से 71 प्रतिशत पुरूष और 59 प्रतिशत महिलायें अपना रोजगार खो बैठे हैं। शहरी क्षेत्र के स्वरोजगार मे लगे 77 प्रतिशत पुरूष और 89 प्रतिशत महिलायें भी जीवनयापन के साधनों से हाथ धो बैठे हैं। शहर मे छोटा मोटा काम करने वाले 82 प्रतिशत पुरूष और 80 प्रतिशत महिलायें भी बेरोजगार हो गये हैं।

इसीलिये महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत काम मांगने और शहरों में भी इसी तर्ज पर कानून बनाने की मांग आज सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गयी है।

शोषण को बढ़ाने के लिये श्रम कानूनों का निलंबन

ऐसे कठिन समय में जब सरकार को सारे मजदूरों को दिलासा और संबल देना चाहिये वह उलटे मजदूरों के हितों के श्रम कानूनों को खत्म करने या उन्हे निलंबित करने में

से बेदखल कर सकते हैं और वे न्यूनतम मजदूरी देने के लिये बाध्य भी नहीं हैं। इससे नियोक्ताओं को इसकी भी छूट मिल गयी है कि वे मजदूरों को उचित प्रकाश,हवा,शौचालय,बैठने की सुविधा,आकस्मिक चिकित्सा सहायता, काम के लिये आवश्यक सुरक्षा उपकरण, कैंटीन,झूलाघर और खाने की छुट्टी देने के लिये बाध्य नहीं है। श्रमकानूनों में हाल में किये गये सुधारों का यह भी मतलब है कि काम के घंटों,पाली,वेज स्केल, ओवरटाइम,अलग अलग तरह की सुविधायें जैसे कैंटीन आदि के बारे में बने कानून भी अब लागू नहीं होते हैं। इसके साथ ही औद्योगिक विवादों को अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया जायेगा जिससे नियोक्ता को यह छूट मिल जाये कि वह मजदूरों को जब मर्जी हो तब लगाये और जब मर्जी हो तब निकाल दे। और अंत में ट्रेड यूनियन के अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी और विरोध करने का अधिकार समाप्त हो जायेगा।

श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलाव नये नहीं हैं। नियोक्ताओं के पक्ष में सुधारों की गति को और तेज करने में महामारी का उपयोग किया गया है। यह इन सभी कानूनों को चार कोड्स मे समाहित करने की कोशिश है। यह अंततः समान काम के लिये समान वेतन के कानून में समाहित अभी प्राप्त अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश करेगा। सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के तहत महिलाओं के इस हक को बढ़ाकर छह महीने का सवेतन अवकाश कर दिया था। लेकिन इससे संगठित क्षेत्र की महिलाओं को ही फायदा होगा और यह हक सिर्फ पहले जन्म लेने वाले 'के लिये ही मिलेगा। मजदूर या कामगार और संस्थान की परिभाषायें हीं नये श्रम कोड ने बदल दी हैं और यह परिभाषा महिलाओं के असंगठित क्षेत्र मे काम को कोई मान्यता ही नहीं देती है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा और त्रिपक्षीय चर्चाओं की व्यवस्था का कमजोर होना महिला मजदूरों के भविष्य के उन लाभों को कम कर देगा जो उनके अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने पर मिलता और उन्हे सामाजिक सुरक्षा के कुछ फायदे भी मिलते।

इसके बाद ठेका मजदूरो के कानूनों का निलंबर भी महिला मजदूरों पर विपरीत असर डालेगा और वे मानव तस्करी और जबरन मजदूरी के लिये आसान शिकार बन जायेंगी क्योंकि अब ठेकेदार पर किसी प्रकार का कोई निगरानी नहीं रहेगी। साप्ताहिक छुट्टी के कानूनो का निलंबन महिलाओं के स्वास्थ्य और दूसरी जिम्मेदाररियो पर विपरीत असर डालेगा।

इन सुधारों का एक और पहलू काम के घंटों को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करना है। यद्यपि कुछ राज्यों में इसका जबरदस्त विरोध होने पर इसे वापस ले लिया है। यह महिलाओ को काम मिलने के अवसरों मे और भी कमी करेगा क्योंकि घर के काम और दूसरी जिम्मेदारियो को सम्हालते हुये इतना काम उन्हे बुरी तरह से थका देगा। इसका अर्थ यह भी है कि उसे अपना रोज का काम और भी जल्द शुरू करना पड़ेगा और उस पर काम का बोझ बढ़ जायेगा। यह उसके शारिरिक और मानसिक स्वास्थ्य

इसलिये एडवा ओर उसके बिरादराना संगठनों को महिला मजदूरों के अधिकारों कीमान्यता के लिए चल रहे संघर्ष को तेज करना शुरू कर देना चाहिए।

ग्रामीण संकट

मोदी सरकार के किसानो की ओर से पीठ फेर लेने के कारण कृषि क्षेत्र भी संकट में है। कृषि संबंधी कानूनों में और आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवर्तन करने से हमारे देश की खाद्य सुरक्षा पर गंभीर परिणाम होंगे। और जो कुछ थोडी बहुत राशन प्रणाली बची है वह भी नष्ट हो जायेगी।

इस कानून में बदलाव से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानो से अनाज खरीदने के लिये सरकार बाध्य नहीं होगी और इस तरह से वे अपने उत्पाद को इस मूल्य से कहीं नीचे खुले बाजार में बेचने को बाध्य होंगे। अकेली महिला किसानों के महाराष्ट्र मे किये गये अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि उनमें से अधिकतर को कोई अनाज नहीं मिला। उनमें से 60 प्रतिशत के पास जॉब कार्ड भी नहीं है। वे अपनी उपज को निजी व्यापारियों को बेहद कम दाम पर बेचने के लिये मजबूर हैं। वे प्रधानमंत्री किसान योजना की हितग्राही भी नहीं हैं।

कृषि क्षेत्र का यह गहराता संकट किसान महिलाओं और महिला खेत मजदूरों दोनों पर विपरीत असर डाल रहा है अब उनमें से अधिकतर काम से बाहर हैं। इसके साथ ही इस कोविड 19 महामारी और लॉकडाउन की वजह से उपजी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है।

जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत आदिवासी हैं। और ग्रामीण जनसंख्या का वे 11 प्रतिशत हैं। वे करीब 200 प्रकार की लघु वनोपज एकत्र करके अपना जीवनयापन करते हैं। और इस काम मे सरकार की ओर से उन्हे कोई मदद नहीं मिलती है और वे अब भुखमरी की कगार पर हैं। वनाधिकार कानून अधिकतर राज्यों में आपराधिक रूप से जानबूझ कर लागू नहीं किया गया है। यद्यपि इसे बने हुये 2006 से अब तक 14 साल हो गये हैं।

हमें इस कानून ओर कृषि क्षेत्र संबंधी कानून के बदलाव मे विरोध के रास्ते ढूंढने चाहियें और दूसरे संगठनो के साथ मिलकर वनाधिकार कानून को लागू करने के लिये संघर्षों की शुरूवात करनी चाहिये।

बढ़ती भूख और भुखमरी

लोगों को खाद्यान्न और काम देने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में केंद्र सरकार बुरी तरह से विफल रही है। 1 जून 2020 को एफ सी आई के गोदामों में 10.4 करोड़ टन अनाज था। इसके पहले किसी सरकार ने इतने अनाज का भंडारण करके नहीं रखा था। यह अनाज 8.3 करोड टन उस आवश्यक अनाज से अधिक था जो सरकार को आकस्मिक जरूरतों के लिये रखना होता है। गोदाम भरे हुये हैं लेकिन जनता भूखी

बनाने मे कर रही है। सरकार ने वादा किया था कि देश के किसी भी कोने मे एक ही राशन कार्ड का उपयोग करते हुये अनाज लिया जा सकता है। लेकिन उन परिवारों का क्या होगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। सारे गरीब परिवारों को अनाज को बांटने के लिये लगातार की जाने वाली मांगों के बावजूद आज भी कई सारे परिवार छूटे हुये हैं।

कई राज्यों ने रिपोर्ट किया है कि राशन कार्ड न होने पर यदि मुफ्त मे राशन लेना है तो कई योजनाओं से हटने के लिये मजबूर किया गया। कई स्थानों पर अनाज की कालाबाजारी होने की खबर मिली। आवश्यक वस्तुओं की कमी थी और कीमतें आसमान छू रहीं थीं। गरीबों के लिये गैस सिलेंडर का भरवाना असंभव था। मुफ्त में राशन के साथ मुफ्त में गैस सिलेंडर भी अगले छः माह तक दिये जाने चाहिये क्योंकि उज्जवला योजना के हितग्राही सारे गरीब परिवारों को समाहित नहीं करते। यह परिस्थिति भूख और भुखमरी को बढ़ा रही है।

अनाज की कमी से महिलाओं के जूझने की कई कहानियां हैं। गुजरात में एक महिला अपने तीन बच्चों के साथ एक सिलाई के शेड में काम करके जीवन यापन करती है। अब चुंकि ऑर्डर्स आने बंद हो गये हैं तो वे चारों अब एक समय ही खाना खाते हैं। एक अन्य महिला अहमदाबाद में एक पोशाख कारखाने में ठेकेदार के यहां पर सिलाई का काम करती है और पीस रेट पर उसे मजदूरी मिलती है। अब उसके पास कोई काम नहीं है और उसकी बचत भी समाप्त हो गयी है। वह राशन के लिये अपने पड़ोसियों पर निर्भर है। इन दर्दनाक संघर्षों और दुःखों को लाख गुना करें तो हमें भूख का वह अदृश्य चेहरा नज़र आयेगा जो निश्चित रूप से महिला का होगा।

हिंदुस्तान की शहरी बस्तियां और मोहल्ले महिलाओं और बच्चों की भूख को छिपाते हैं। सबसे अधिक वे महिलायें प्रभावित हैं जो अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली हैं। ये या तो विधवायें हैं या फिर वे हैं जिनके पति या पिता अपनी बीमारी के कारण या कई बार नशे की आदत के कारण कुछ काम नहीं कर पाते हैं। ये महिलायें घरेलू कामगार हैं, निर्माण मजदूर हैं, सड़क पर रेड़ी लगाकर कुछ बेचने वाली हैं,कचरा इकट्ठा करने वाली हैं या फिर घर में ही बैठकर कुछ उद्योग करने वाली है। इस तरह से कुछ छोटा मोटा काम करके वे थोडे से पैसे कमाती हैं जिससे परिवार के बच्चों और बुजुर्गों का पेट भर सकें। वे उतना ही कमा पाती हैं जितना जिंदा रहने के लिये जरूरी है। अब जब काम छूट गया है भूख ने उनके घरों को अस्त व्यस्त कर दिया है।

इसीलिये हमारी मांग कि हर आय कर ने देने वाले परिवारों को हर माह 7500 रूपये सीधे उनके बैंक खातो में सीधे जमा किये जाये बेहद महत्वपूर्ण है। 2011 के एन एस एस के आंकडों के अनुसार इन परिवारों की संख्या 23 करोड़ है और 1,57,000 लाख रूपयों की हर माह जरूरत होगी। यह सकल घरेलू उत्पाद या जी डी पी का केवल 1 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि देश के गरीब परिवारों को जिंदा रखने के लिये सरकार को छः माह के लिये जी डी पी का केवल 6 प्रतिशत देना पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने अलग अलग तरीके से नकद हस्तांतरण किये जिनमें महिलाओं के जनधन खातों में 500 रू भी शामिल हैं। इस अति असंवेदनशील सरकार ने अपेक्षा की कि एक परिवार की एक महिने की आवश्यकतायें इस 500 रू की शानदार राशि से पूरी हो जायेंगी।

एक वैश्विक परामर्श फर्म डालबर्ग के द्वारा अप्रेल के मध्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सबसे गरीब करीब 18,000 परिवारों का सर्वे किया था। यह पाया गया कि इनमें से 45 प्रतिशत को मुफ्त राशन नहीं मिला था। और करीब 70 प्रतिशत को उनके जनधन खातों में राशि नहीं मिली।

इस तरह के संकट के समय पर पहले से ही मौजूद गैर बराबरियां और भी बढ़ जाती हैं। भारत में जहां पर पारंपरिक रूप से महिलायें सबको खिलाने के बाद ही खाती हैं परिवारों के अंदर भी भोजन का वितरण बराबरी से नहीं होता है। ग्रामीण इलाकों में खपत में 50 प्रतिशत की कमी आयी है। महिलाओं और लड़कियों का कुपोषण के स्तर के आंकडे इस क्रूर सचाई को साबित करते हैं। सरकार की नीतियों के परिणामस्वरूप काम करने वाले गरीबों के सभी वर्गों के लिए बड़े पैमाने पर अभाव, इनकार, भुखमरी और कुपोषण हो रहा है। मोदी सरकार की नीति में आपराधिकता निहित है जो खाद्यान्नों के पर्याप्त वितरण को सुनिश्चित करने से और कीमतों को नियंत्रित करने के उपाय करने से इनकार करती है। इससे पुरुष और महिलाएं दोनों प्रभावित हैं, लेकिन महिलाओं को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी आगे सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा रही है। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के कदम और खाद्य सुरक्षा के अधिकार महिलाओं की लामबंदी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

सार्वजनिक सेवाओं को कमजोर करके निजी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन

पिछले कुछ दशकों से नवउदारवादी नीतियों ने सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण और व्यापारीकरण को बढ़ावा दिया है। विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में। इस महामारी के दौर में इसका गंभीर परिणाम सामने आया है। लॉकडाउन के समय को स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को लॉकडाउन अवधि का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं की अधोसंरचना का विस्तार करने के लिए या तो अस्पताल की जगह बढ़ाने, बहुत जरूरी पीपीई को मुहैया कराने या पर्याप्त परीक्षण केंद्रों की व्यवस्था करने के लिए नहीं किया गया है। लगभग हर राज्य में, परीक्षण सुविधाएं, अस्पताल के बिस्तर और वेंटिलेटरों की भारी कमी है। बेहद कम सुविधाओं वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण अस्पतालों पर बहुत दबाव है। निजीकरण पर जोर देने से कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है। क्वारंटाइन की सुविधायें बहुत भयानक रूप से खराब हैं। और महिलाओं को इन केंद्रों में खराब उपचार, दुर्व्यवहार और यौन हिंसा के सबसे भयावह अनुभवों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपातकालीन देखभाल की एक श्रेणी है जो कोविड-19 के लिए इंतजार नहीं कर सकती है, और यह गर्भवती महिला के लिए

प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद की सेवाएं है जो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। अफसोस की बात यह है कि गर्भवती महिलाओं के कष्टदायक अनुभवों के बारे में अनगिनत रिपोर्टें सामने आई हैं। दिल्ली में निजामुद्दीन बस्ती की 25 वर्षीय गर्भवती महिला को सफदरजंग से दूर कर दिया गया, फिर उसे लोक नायक अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जिसने उसे प्रवेश देने से मना कर दिया क्योंकि वह कोविड –19 पॉजिटिव नहीं थी। एम्स के बाहर बच्चे को जन्म देने से पहले उसने 48 घंटे के अंतराल में कम से कम छह अस्पतालों और प्रसूति क्लीनिकों का दौरा किया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा में एक ऑटो रिक्शा में एक 26 वर्षीय गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई, कारण कि उसे 3 अस्पतालों में प्रवेश देने से मना कर दिया गया क्योंकि उसके पास कोविद –19 की नकारात्मक रिपोर्ट नहीं थी।
अधिक से अधिक महिलाएं उन अस्पतालों द्वारा प्रवेश से इनकार करने की रिपोर्ट कर रही हैं जिन्होंने उनकी प्रसव पूर्व सेवा प्रदान की थी। जबकि कुछ लोग दूर–दराज के अस्पतालों की यात्रा करने के लिए और कोरोनोवायरस संक्रमण के जोखिम को उठाने के लिये मजबूर हैं। दूसरों के पास घर पर जन्म देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यूपी के श्यामनगर के रहने वाली 22 साल की अमरीन ने इस तरह घर पर मृत बच्चे को जन्म दिया, फिर प्रसव के बाद की पैदा हुयी जटिलताओं के कारण उसका निधन हो गया। इस तरह की जानलेवा क्षति जिसे टाला जा सकता था वास्तव में इस अवधि की एक दुखद घटना है।

गर्भ निरोधकों की अनुपलब्धता से महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है। एमटीपी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अवांछित गर्भधारण की संभावना भी बढ़ रही है। पुरूषों के इन दिनों घर मे बिताये जा रहे अधिक समय के चलते हाल के समय में बच्चे अधिक पैदा होने की भविष्यवाणी की गयी है जिससे महिलाओं के प्रजनन संबंधी तकलीफें बढ़ जायेंगी। है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि संसाधनों और प्राथमिकताओं पर आंबटनों को बार बार बदलने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा है। जिसमें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। वर्तमान स्थिति में महिलाएं किसी भी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के आधार पर स्वास्थ्य का सार्वभौमिक अधिकार, न कि बीमा आधारित योजनाएँ महिलाओं के लिए बेहद आवश्यक हैं।

फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशंसनीय काम

कोविद –19 रोगियों की पहचान और उपचार में चिकित्सा कर्मियों – डॉक्टरों, नर्सों, एएनएम, आशाओं, आदि द्वारा निभाई गई भूमिका उल्लेखनीय रही है। देश में 9 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। इनमें से 90 प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों का 70 प्रतिशत महिलायें हैं। क्या कभी इस देश ने नोट

? क्या उन्हे पी पी ई किट दी गयी ? क्या उनके मास्क उनको बचाने के लिये काफी थे ? बहुत सारी इन महिलाओं में इस बीमारी के लक्षण दिखना वास्तव में बताता है कि ये महिलायें कितनी खतरनाक स्थिति में नौकरी कर रही हैं। दुर्भाग्य से यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही स्थिति है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय कौंसिल ऑफ नर्सेस की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें आंकडों के आधार पर बताया कि नर्स और स्वास्थ्य सेवाओं में लगे दूसरे कर्मचारी कितनी बड़ी संख्या में जोखिम मे काम कर रहे हैं। समुचित जांच और सुरक्षा के अभाव में वे और उनके मरीज दोनों ही समान रूप से खतरे मै हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली इन महिला श्रमिकों के बिना कुशलता से संचालित हो ही नहीं सकती है, लेकिन उनका ध्यान रखना होगा। अतिरिक्त कार्य भार द्वारा नर्सों को झुकाया जाता है। उन्हें अक्सर घर जाने के पहले, वहीं पर स्नान करने, कपड़े धोने, बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हे वे उचित सुविधायें चाहिये जहां पर वे सुरक्षित रूप से यह काम कर सकें। दूर दूर जाकर कर कोविड 19 के प्रभावितों की पहचान करने के काम मं जुटी आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा आवश्यकताओं की ओर भी बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। पी पी ई के स्थान पर रेनकोट काम नहीं करता है! कई राज्यों में ठेके पर लगे पैरामेडिकल स्टाफ को उनके वेतन में उनके पुराने देय का भुगतान नहीं किया गया। इन स्वास्थ्य अधिकारियों की जिंदगी का बीमा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है लेकिन इसके साथ साथ जो भी इन परिस्थितियों मे काम कर रहे हैं उनके लिये एक जोखिम भत्त्ता भी दिया जाना चाहिये। सरकार को न केवल उनके कार्य क्षेत्र पर बल्कि उनके घर पर भी इन स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये कुछ आवश्यक उपाय शीघ्र करने चाहिये।

स्व सहायता समूहों की हालत खराब

असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों में महिलाएं दैनिक आय पर निर्भर होती हैं। वे स्व सहायता समूहों के माध्यम से बैंकों से लिए गए ऋण को चुकाने की स्थिति में नहीं हैं।नाबार्ड की 2018–19 की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल 1 करोड़ स्व सहायता समूहों में से 85.31 लाख समूह केवल महिलाओं के समूह हैं। लेकिन इनमे से केवल 50.77 लाख समूह ही बैंक से लिंक हैं। दूसरे शब्दों में लगभग आधे समूह अभी भी बैंक लोन ले सकने की स्थिति में नहीं हैं। इन समूहो को बैंक के द्वारा 2018–19 में दिये गये लोन 58,318 करोड़ रूपये थे। इस प्रकार एक समूह को औसतन केवल 2.16 लाख रूपये लोन दिया गया।

शहरी और ग्रामीण इलाकों में बैंक से जुड़े स्व सहायता समूहों में करीब 6 करोड़ महिलायें सदस्य हैं। वे इन कर्जों का उपयोग आमदनी बढ़ाने वाले काम करके कर रही है। जैसे फल बेचना, सब्जी बेचना,किराने का सामान,डेरी का सामान, और खेती । इसके अलावा बच्चों की शिक्षा,स्वास्थ्य ओर दूसरे परिवार के खर्चों में इनका उपयोग

कई बार तो ब्याज दर 18 से 24 प्रतिशत हो जाती है। इन कर्जों के चुकाने पर कुछ समय के लिये रोक लगायी जानी चाहिये और ब्याज को माफ कर दिया जाना चाहिये। जिस प्रकार से सरकार ने घोषणा भी की है 20 लाख का कर्ज भी ब्याज से मुक्त होना चाहिये।

वे स्व सहायता समूह जिन्होने एम एफ आई से लोन लिया हुआ है वे आज संकट में हैं। किसी काम के और कमाई के अभाव में वे इस स्थिति में नहीं है कि वे अपने उत्पाद बेच कर कर्जे को तुरंत वापस कर दें। सरकार की घोषणाओं के बावजूद वे एमएफआई जिन्होने गरीब महिलाओं को सरल तरीके से मिलने वाले लेकिन ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज का लालच दिया वे अब किश्तों के भुगतान के लिये महिलाओं पर दबाव बना रहे हैं। वे महिलाओं के घरों पर अपने वसूली एजेंटों को लगातार भेज रहे हैं जो किश्तो के भुगतान के लिये और ब्याज चुकाने के लिये उन महिलाओ को धमकियां दे रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। ऐसी भी रिपोर्ट मिली है कि ये एजेंट महिलाओं से किश्तों में छूट के लिये यौन संबंध बनाने की मांग करते है।

एडवा ने मांग की है कि इस महामारी के दौर में किश्तों और ब्याज की वसूली तुरंत प्रभाव से रोकी जाये। स्व सहायता समूह के द्वारा लिये गये कर्जों को माफ कर दिया जाये। कर्जे की वसूली के लिये किये जा रहे उत्पीड़न और दी जा रही धमकियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। और समूहों की सारी महिलाओं के लिये कोलेटरल से मुक्त कर्ज दिये जायें।

घरेलू हिंसा से मुक्ति नहीं

भारत में यूरोप के कई देशों के समान लॉकडाउन के दौरान, घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि के कोई सांख्यिकीय प्रमाण नहीं हैं। एनसीडब्ल्यू हेल्पलाइन के पास आई घरेलू हिंसा की शिकायतों की संख्या महीने भर पहले की उनके पास की शिकायतों की तुलना में अप्रैल में दोगुनी हो गयी। लेकिन यह बात भी सच है कि दर्ज शिकायतें केवल नमूना हैं।राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण – 4 यह बताता है कि शादीशुदा महिलाओं का एक तिहायी हिस्सा कभी न कभी अपने पति के हाथों शारिरिक,मानसिक,लैंगिक हिंसा का शिकार हुयी हैं। ऐसी स्थितियों में महिलाओं के लिए उपलब्ध किसी भी वैकल्पिक अधोसंरचना की कमी के चलते उनके पास दुर्व्यवहार करने वालों के साथ समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। महामारी का अनुभव घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के लिए बहुत सारे आश्रय गृहों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के धनाड्य वर्ग के स्कूल के छात्रों के द्वारा बेहद अश्लील ऑनलाईन बर्ताव किये जाने का पता चला था जिसमे वे अपनी ही स्कूल की छात्राओं

मिल जाना असल में महिलाओं के प्रति पुरूष की मानसिकता को विकृत कर देता है। मानव तस्करी की बढ़ती हुयी घटनायें भी देश मे एक चिंता पैदा कर रही हैं।

इस प्रकार एक ओर हमारे पास मनुवाद को बढ़ावा देने वाले और उसके समर्थक जिंदा हैं, जो महिलाओं की अधीनस्थ भूमिका को स्वाभाविक कह कर महिमामंडित करते हैं, तो दूसरी ओर महिलाओं के शरीर का आक्रामक लैंगिकता का प्रदर्शन भी होता है जो बेहद आपत्तिजनक व्यवहारों और कामों को बढ़ावा देता है। यह भी लॉकडाउन के दौरान बढ़ा है। और इस तरह के अपराध की ओर न तो केंद्र सरकार ध्यान दे रही है न ही किसी राज्य सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। महिलाओं के खिलाफ और विशेष रूप से लड़कियों और युवतियो के खिलाफ हो रहे इस साइबर अपराध के विरोध में संघर्ष के लिये महिलाओं और विद्यार्थियों को एक साथ आ कर अभियान शुरू करना होगा।

सांप्रदायिक प्रचार और कट्टरपंथ को बढ़ावा देना

केंद्र की भाजपा की सरकार इस लौक डाउन का उपयोग हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने और तानाशाही लादते हुये नवउदारवादी नीतियों को तेजी से लागू करने के साथ साथ बदले की भावना और अत्याचार के एजेंडे को भी लागू कर रही है।

तब्लीगी जमात का असर खत्म होने के लंबे समय बाद तक भी मुस्लिम समुदाय को खलनायक बनाकरयह महामारी का साम्प्रदायिकरण कर रही है। सोशल मीडिया पर सबसे अधिक घृणा और नफरत भरे संदेशों के माध्यम से और अल्पसंख्यकों पर कई जगहों पर शारीरिक हमलों के साथ, भाजपा और आरएसएस धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करने के लिए दिनरात काम कर रहे हैं।

भाजपा आर एस एस मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर निशाना साध कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज कर रही है। सी ए ए एन आर सी एन पी आर विरोधी प्रदर्शनों में जिन्होने हिस्सेदारी की उन्हे बेरहम प्रावधानों के साथ गिरफ्तार किया जा रहा है। विरोध की आवाजें,जनतंतत्रात्मक अधिकारों के लिये आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिये और गरीब और हाशिये पर पड़े लोगो के अधिकारों के लिये आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं को देश द्रोह कें आरोप लगाकर जेल में डाला जा रहा है। असहमति की आवाज को कुचलने के लिये किये गये हमले कें अंतर्गत मानवाधिकार कार्यकर्ताओ की गिरफ्तारी, जिसमें कई महिलायें भी हैं, इस लौकडाउन की एक महत्वपूर्ण घटना है। कुछ गिरफ्तार कार्यकर्ता बेहद बीमार हैं लेकिन देशद्रोह के आरोप का फायदा उठाकर उन्हे जमानत भी नहीं दी जा रही है। सुधा भारद्वाज,शोमा सेन,सफूरा जरगर, नताशा नरवाल,देवांगना कलिता,डा आनंद

भाजपा नेता जैसे अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा जिन्होने भीड़ को उकसाया और दिल्ली का दंगा भड़काया आज भी बाहर खुले घूम रहे हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है।

मीडिया के लोग जो सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ असंतोष व्यक्त करते हैं, उन्हें परेशान और पीड़ित किया जाता है। यह प्रतिशोध का वास्तविक एजेंडा है कि यह भाजपा सरकार इस महामारी को रोकने, मानव जीवन को बचाने और लॉकडाउन द्वारा लोगों के दुख को कम करने पर ध्यान देने के बजाय अपने एजेंडे पर काम कर रही है। एक मुद्दा जो इस महामारी के दौरान महिलाओं की जिंदगी पर गहरा असर डालने वाला है वह है पोंगापंथी और पिछड़ी हुयी मानसिकता को संघ परिवार से जुड़े संगठनों के द्वारा बढावा देना। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यह वायरस एक देवी है जिसे शांत करना जरूरी है। इसका नाम है कोरेना माई।

यह मनुवादी सोच और परंपरागत सोच को कायम रखता है कि यह आपदा एक बुरी महिला के द्वारा लायी गयी है। वे महिलाओ को इस कोरेाना माई की पूजा करने के लिये इकट्ठा भी कर रहे हैं। इस तरह से दो काम एक साथ हो रहे है। पहला हिंदू धर्म की पहचान मजबूत होती है और दूसरे इस महामारी को रोकने में सरकारों के पूरी तरह से नाकाम होने की ओर उनका ध्यान न जाये। सत्ता पर बैठे हुये लोगों के द्वारा अवैज्ञानिक सिद्धांत देना महिलाओ पर विशेष प्रभाव डालता है जो पहले से ही अंधविश्वासों और परंपराओं और रीति रिवाजो के निशाने पर रहती हैं। हमे याद रखना चाहिये कि किस तरह से महिलाओ को चुडैल कह कर बीमारियों ाऔर दूसरी दिक्कतों के लिये जिम्मेदार बताया जाता है। और फिर उन्हे अपमानित कर मार डाला जाता है। इस तरह की रूढिवादी सोच का विरोध करने के लिये हमें पीपुल्स साइंस मूवमेंट के साथ मिल कर अभियान शुरू करना चाहिये।

संघर्षों में एकता

प्रधान मंत्री मोदी का एक भी भाषण महिलाओ के प्रति उनकी चिंता दर्शाने वाला नहीं था। राष्ट्र के लिए उनके संबोधन जुमलों की एक श्रृंखला रहे हैं और उनके तथाकथित पैकेज झूठे और भ्रामक रहे हैं। तीन महीने की अनकही तकलीफें और कष्ट, जीवन और आजीविका का कुल अव्यवस्था, भुखमरी और भुखमरी का सामना करना और हाथ में बिलकुल पैसा नहीं होना, नशेखोर के साथ रहने के लिए मजबूर होना – यह सब महिलाओं के लिये और अधिक, तबाही का कारण बना है।

एडवा को इस पुस्तिका में उठाए गए मुद्दों को अन्य समान विचारधारा वाले महिला संगठनों के साथ मिलकर जोरदार ढंग से उठाना होगा, लैंगिक पहलू को सामने लाना

सभी स्तरों पर संयुक्त, अधिक प्रत्यक्ष और दिखाई देने वाले प्रभावी आंदोलनों की तत्काल आवश्यकता है, विशेष रूप से महिलाओं के ज्वलंत मुद्दों पर जमीनी स्तर पर, जिन्हें पूरे देश में जनविरोधी,किसान विरोधी, मजदूर विरोधी,नवउदारवादी नीतियों को लाने वाले शासन के खिलाफ एकजुट संघर्ष के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एडवा की इकाइयों को स्थानीय समस्याओं को उठाने के साथ–साथ इन मुद्दों को सक्रिय रूप से उठाना है।

मांगें

- हर उस नागरिक के खाते में कम से कम छः माह तक 7500 रूपये लौक डाउन शुरू हुआ उस महीने से डाले जाये जो आय कर नहीं देता है।
- कानून कम से कम छः माह तक 10 कि ग्राम अनाज प्रति व्यक्ति सभी जरूरत मंद लोगों को दिया जाये।
- राशन प्रणाली के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं की मुफ्त आपूर्ति की जाये और गैस सिलेंडर भी मुफ्त में दिये जायें।
- काम मांगने वालों को 200 दिनों का काम रोजगार गारंटी कानून के तहत दिया जाये।
- महिलाओ के करने लायक काम,पीने के पानी की सुविधा,झूलाघर आदि की सुविधा रोजगार गारंटी कानून के अंतर्गत दी जाये।
- रोजगार गारंटी कानून को नगर पंचायत में भी लागू करो।
- शहरी क्षेत्रों में काम के लिये शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करो।
- श्रम कानूनो और कृषि संबंधी कानूनों में मजदूर विरोधी और महिला विरोधी बदलावों को वापस लो।
- सभी किसान को लाभ देने वाली सभी योजनाओं का लाभ महिला किसानों को विशेष रूप से अकेली महिला किसानों को भी दो।
- अस्पतालों में नियमित मरीजों का इलाज भी सुनिश्चित करो।
- अनचाहे गर्भ को रोकने के लिये मुफ्त गर्भनिरोधक का वितरण करो।
- प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करो।
- सीएए एन आर सी एनपीआर आंदोलनों के कार्यकर्ताओं को झूठे आरोपों में फंसा कर गिरफतार करना तुरंत बंद करो।
- सभी हिंसा की शिकार पीड़ितों विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करो।

AIDWA

एडवा जिंदाबाद! हम लडेंगे ! हम जीतेंगे !

AIDWA

AIDWA

AIDWA

AIDWA

AIDWA

AIDWA

AIDWA

AIDWA

AIDWA

AIDWA

AIDWA

AIDWA

AIDWA

AIDWA

Published by Mariam Dhawale, General Secretary All India Democratic Women's Association, 2253-E, Shadi Khampur, New Ranjit Nagar, New Delhi – 110008.
Email:aidwacec@gmail.com, Website: aidwaonline.org